संख्या– /25(2003)–XXVI/2004

प्रेषक,

एल0 फैनई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनांकः 15 फरवरी, 2005

विषयः– बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन विभाग हेतु सृजित पदों की वित्तीय वर्ष 2005–06 में निरन्तरता"।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2273/स्था0–1(पदस्वी0)2004–05 दिनांक 03 फरवरी, 2005 के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–315/25–नि0अनु0/2003 दिनांक 11 सितम्बर, 2003 द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए निम्न अस्थाई 15 पदों का सृजन किया गया था जिनके 28 फरवरी, 2005 तक चलते रहने की निरन्तरता की स्वीकृति शासनादेश संख्या–164/25(2003)नि0अनु0/2004 दिनांक 26 अप्रैल, 2004 द्वारा प्रदान की गई थी। अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय बीस सूत्री कार्यक्रम हेतु सृजित निम्न अस्थाई पदों को एतदर्थ दिनांक 28 फरवरी, 2006 तक बशर्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पूर्व ही समाप्त न कर दिये जायं, चलते रहने की निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	संयुक्त निदेशक	1	12000–375–16500
2	शोध अधिकारी	2	8000–275–13500
3	निजी सचिव (मा0उपाध्यक्ष के निजी स्टाफ हेतु)	1	6500–200–10500
4	सहायक शोध अधिकारी	4	5000–150–8000
5	कनिष्ठ सहायक/डाटा इंट्री आपरेटर	4	3050–75–3950–80–4590
6	चालक	1	3050–75–3950–80–4590
7	अनु सेवक	2	2550–55–2660–60–3200
	कुल योग– (पन्द्रह मात्र)	15	

2– उक्त पदों पर वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।

3– उक्त पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाय। यह सभी पद पूर्णतया अस्थाई हैं और इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

4– उक्त पदों पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आवश्यकतानुसार की जायेगी, परन्तु पदों पर नियुक्ति के लिए शासन की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त की जायेगी बिना शासन की

अनुमति के उक्त पदों पर की गयी नियुक्तियां अनियमित मानी जायेगी।

5- मितव्ययता के संबंध में शासन से समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

6- अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात ही चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक के पदों पर वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में ही शासन की पूर्व अनुमति से नियुक्ति की व्यवस्था की जायेगी । लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर यथासम्भव प्रदेश के सरप्लस/छटनीशुदा कार्मिकों की ही नियुक्ति की जायेगी ।

7- यदि मा0 उपाध्यक्ष के निजी स्टाफ हेतु कोई निःसंवर्गीय पद सृजित किया जाता है तो संवर्गीय पद पर नियुक्ति निःसंवर्गीय पद के उपलब्ध रहते हुए नहीं की जायेगी ।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा। तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् ही चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक के पदों पर वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में ही शासन की अनुमति से की जायेगी। लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद यथासम्भव प्रदेश के सरप्लस/छटनीशुदा कार्मिकों की ही नियुक्ति की जायेगी।

11- यदि मा0 उपाध्यक्ष के निजी स्टाफ हेतु कोई निःसंवर्गीय पद सृजित किया जाता है तो संवर्गीय पद पर नियुक्ति निःसंवर्गीय पद के उपलब्ध रहते हुए नहीं की जायेगी।

12- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में प्राविधानित अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

11/02/2005

(एल0 फैनई)

अपर सचिव।

संख्या- 123 /25(2003)-XXVI/2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2- संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यकम, उत्तरांचल, देहरादून।
3- निजी सचिव, उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यकम कियान्वयन समिति को मा0 उपाध्यक्ष के संज्ञानार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन/एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)

संयुक्त सचिव।

C:\Bhatt\25-Plg-20. p.p.03